न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **10 / 2020 प्रथम अपील**

उनवान

श्री रामनिवास पटवारी पुत्र गोकललाल पटवारी निवासी माण्डल जिला भीलवाडा **बनाम** उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

––अपीलार्थी –विपक्षी

अपील अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा योजना में नाम नहीं जोड़ने के विरूद्व प्रथम अपील

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 4-08.2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत नाम नहीं जोड़ने से उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा के विरूद्व प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम के अंतर्गत एक आवेदन उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा को प्रस्तुत किया। परन्तु उपखण्ड अधिकारी माण्डल द्वारा दिनांक 15.06.2018 को खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने हेतु अपात्र माना गया। जबकि परिवादी खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़े जाने की पात्रता रखता हैं। निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 03.02.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा द्वारा पत्रांक / जनसुन / 2020 / 926 दिनांक 29.07.2020 से टिप्पणी / प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। इस प्रतिवेदन पर अपीलार्थी ने पुनः प्रार्थना पत्र दिनांक 13.08.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में उपखण्ड अधिकारी माण्डल से प्राप्त प्रतिवेदन में अंकित किया कि खाद्य सुरक्षा में परिवादी का नाम जुड़वाने के संबंध में विकास अधिकारी पंचायत समिति माण्डल द्वारा जांच करायी गयी, जांच में परिवादी को खाद्य सुरक्षा में अपात्र माना गया हैं। अतः परिवादी का खाद्य सुरक्षा योजना में नाम नहीं जोड़ा जा सकता हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 04-08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा